परामर्श -10

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग
17वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन (एसटीसी बिल्डिंग)
टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली- 1 1000 1

एफ. नं. ए-11018/ 01/ 2021-सीएक्यू एम **दिनांक: 19.O7.2023**

सेवा में ,

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ,चौथी मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर-1, चंडीगढ़
2. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर-302005
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, 101, 'बी' ब्लॉक, लोक भवन, उ.प्र. सचिवालय, लखनऊ
4. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।

विषय: एनसीआर में स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवा (बसें)।

महोदय,

पूरे एनसीआर में समग्र रूप से वायु प्रदूषण पर परिवहन क्षेत्र का उल्लेखनीय रूप से उच्च योगदान रहता है | खासकर सर्दी के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है | जैसा कि अच्छी तरह से स्थापित है कि एनसीआर के भीतर स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ विशेषतः अंतर-शहर और शहर के अंदर बस सेवाओं से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी |

2. इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, एनसीआर राज्यों और जीएनसीटीडी के परिवहन और पर्यावरण विभागों के साथ आयोग की कई बैठकें आयोजित की गई जिस से कि एनसीआर में स्वच्छ बस सेवाओं में स्थानांतरित करने के लिए विस्तृत कार्य योजना विकसित की जा सके | इसमें निम्न लिखित अनिवार्यताओं पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए कहा गया है:

(i) पूरे एनसीआर में यानी दिल्ली और सभी एनसीआर जिलों के बीच बस सेवाओं को लम्बी अवधि (5 वर्ष के भीतर) में ईवी में स्थानांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है, ईवी / सीएनजी बसें मध्यम अवधि में (3 साल के भीतर) और ईवी / सीएनजी / बीएस VI डीजल बसें अंतरिम अवधि में स्थान्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ii) आसपास के उत्तर भारतीय राज्यों जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से एनसीआर होते हुए दिल्ली के लिए बस सेवाओं को भी ईवी में स्थानांतरित करने के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है/ लंबी अवधि में सीएनजी (5 वर्ष के भीतर) और ईवी/सीएनजी/बीएस- VI डीजल बसें (3 वर्ष)' में स्थान्तरित किये जाने की आवश्यकता है |

(iii) ऐसी कार्यान्वयन योग्य योजना बनाएं जो यह सुनिश्चित करें कि दिल्ली और एनसीआर में देश के अन्य हिस्सों से प्रवेश करते समय केवल स्वच्छ ईधन बसें ही प्रवेश करें | ऐसी रणनीति के तहत स्वच्छ गतिशीलता को बढ़ावा दिया जाये और उसी अनुसार बनाई गयी योजना के तहत सभी राज्य सरकारों के साथ कार्य करें|

3. इसके जवाब में, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी बीएस-III और बीएस-IV डीजल चालित बसों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित / प्रतिस्थापित करने के लिए कार्य योजनाएँ तैयार की हैं जो निम्नवत हैं :

(i) हरियाणा राज्य सरकार 2023-24 के दौरान 1313 नए बीएस-VI डीजल बसें खरीदने की योजना बना रही है जिससे पुरानी बसों को बदलने की सुविधा मिलेगी जिससे चिन्हित की गयी पुरानी बसों को अनुपयोगी

घोषित करके बी एस iii और बी एस -iv बसों को बदलने की सुविधा मिलेगी जिन्हें गैर एनसीआर बस डिपो में स्थानांतरित करने की योजना है |

(ii) इसी तरह, राजस्थान राज्य सरकार ने भी इसकी जानकारी दी है कि आरएसआरटीसी की वर्ष के दौरान 590 नई बीएस-6 बसें खरीदने की भी योजना है इसके अलावा एनसीआर में स्वच्छ गतिशीलता विकल्पों के लिए 44o बीएस- iv श्रेणी की बसों की सेवा को आउटसोर्स करके पूरे फ्लीट को बदलने की योजना है |

(iii) उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भी अपनी योजना की जानकारी दी है कि बीएस-III/IV डीजल बसों के स्थान पर 955 नई बीएस-VI डीजल बसें अगले 3-4 वर्षों में शामिल की जाएंगी, जिसमे एनसीआर में चलने वाली बसों को प्राथमिकता दी जायगी ।

(iv) एनसीआर/जीएनसीटीडी की राज्य सरकार ने भी खरीद की सूचना दी है | संबंधित ईवी नीति के अनुसार जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्यों द्वारा सीएनजी बसों और ईवी की आपूर्ति पर भी काम चल रहा है |

4. इस प्रकार, एनसीआर में स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली बस सेवाओं में बदलाव को आगे बढाने की दिशा में गति और ठोस प्रयास दिख रहे हैं| इस उद्देश्य को आगे बढ़ावा देने के लिए, यह दोहराया जाता है कि विभिन्न एनसीआर जिलों और दिल्ली के बीच में चल रही सार्वजनिक परिवहन बस सेवाओं में बीएस-III/IV डीजल बसों के प्रतिस्थापन के लिए इलेक्ट्रिक/सीएनजी/बीएस-6 डीज़ल बसों के प्रतिस्थापन के लिए प्राथमिकता दी जाए|

5. एनसीआर में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नई इलेक्ट्रिक/सीएनजी/बीएस-VI बसों की खरीद योजना को देखते हुए यह सुविधाजनक रूप से संभव लगता है कि हरियाणा और राजस्थान से दिल्ली में आने-जाने वाली सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक/सीएनजी/बीएस-VI बसों में इस वर्ष ही पूर्ण रूप से स्विच कर दिया जाए.| उत्तर प्रदेश के एनसीआर क्षेत्रों और दिल्ली के बीच चलने वाली बस सेवाओं के लिए भी मौजूदा बी एस –III /IV डीजल बसों को बदलने के लिए बी एस –VI की नई बसें काफी संख्या, 333 में से 233 बसें इसी वर्ष शामिल करने की संभावना है

6. उपरोक्त के आलोक में, दिल्ली-एनसीआर में विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में समग्र वायु प्रदूषण भार के लिए वाहनों के प्रमुख योगदान पर विचार करते हुए यह सलाह दी जाती है कि सही दिशा में कृपया निम्नलिखित कार्रवाई की जाये :

(i) 01.11.2023 से संबंधित राज्यों के एनसीआर जिलों और दिल्ली तक चलने वाली बसें या तो ईवी या सीएनजी या बीएस-VI डीजल हों |

(ii) योजना बनाएं और यह लक्ष्य हासिल करें कि सभी बसें एनसीआर से शुरू होने वाली या समाप्त होने वाली बसें 30.06.2026 तक केवल सीएनजी / ईवी मोड पर चलेंगी या बीएस-VI डीजल वाली हों |

(iii) पर्याप्त संख्या में बसें शुरू करने की योजना बनाएं और उनका लक्ष्य रखें कि 30.6.2028 तक एनसीआर में शुरू या समाप्त होने वाली पर्याप्त बसें ईवी मोड में हों |

(iv) एनसीआर राज्य सरकारों और जीएनसीटी दिल्ली में संबंधित एजेंसियां/विभाग कार्य योजना के अनुसार मील के पत्थर हासिल करने का प्रयास करेगी और तदनुसार कार्यान्वयन के लिए कदम उठाएँ |

हस्ता0
(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य –सचिव
ई मेल: arvind.nautiyal@gov.in

प्रतिलिपि

1. परिवहन आयुक्त, हरियाणा सरकार
2. परिवहन आयुक्त, राजस्थान सरकार
3. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार
4. परिवहन आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. एसीएस, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
6, एसीएस, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, राजस्थान सरकार
7. एसीएस (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन), हरियाणा सरकार
8. प्रधान सचिव, पर्यावरण. एवं वन, जीएनसीटीडी

निम्नलिखित को भी प्रतिलिपि :

9. अध्यक्ष, सीएक्यूएम
10. सभी सदस्य, सीएक्यूएम

(अरविन्द नौटियाल)
सदस्य –सचिव